www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 08.04.2017

सीबीआई ने कथित घूसखोरी में ई.पी.आई.एल., दिल्ली के प्रबन्धक एवं अन्यों के विरूद्ध अलग अलग दो मामले दर्ज किए

सीबीआई ने इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड (ई.पी.आई.एल.), नई दिल्ली के प्रबन्धक के विरूद्ध अलग अलग दो मामले दर्ज किए जिन पर आरोप है कि अधिकारी ने त्रिपुरा एवं कोलकाता में लोक कार्यों हेतु दो अलग अलग कम्पनियों को ठेका आवंटित करने के लिए अवैध रिश्वत प्राप्त की। मामलों से जुड़ी 1.5 करोड़ रू. (लगभग) की कथित घूस की मॉग में से 50 लाख रू. (लगभग) आरोपी से सम्बन्धित/ सहयोगी विभिन्न कम्पनियों एवं व्यक्तियों के माध्यम से भेजी गई।

पहले मामले में, आरोपी अधिकारी कथित रूप से कोलकाता विकास प्राधिकरण, न्यू टॉउन में भवन परियोजना हेतु अम्बेडकर नगर (उ.प्र.) की निर्माण कम्पनी के मालिक (एक आरोपी भी एवं कोलकाता निवासी) से अवैध रिश्वत प्राप्त की।

दुसरे मामले में, ऐसा आरोप था कि ओ.एन.जी.सी. त्रिपुरा पावर कम्पनी, उदयपुर, त्रिपुरा में लोक कार्यों हेतु गुवाहाटी (असम) स्थित निर्माण कम्पनी के एक अन्य आरोपी निदेशक से अवैध रिश्वत प्राप्त की।

लखनऊ, भागलपुर, पुर्णिया, बस्तर, बिलासपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, उदयपुर (त्रिपुरा), भुवनेश्वर, राउरकेला एवं दिल्ली सहित 08 राज्यों के एक दर्जन से अधिक स्थानों पर तलाशी की गई। महत्वपूर्ण सूचना एवं सबूत जो कि इस तलाशी में सामने आए, आगे की जॉच के लिए इनकी पड़ताल की जा रही है।

****